न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00276 (312/2017) राज. उप. (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23

कृष्ण पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2017 सहायक कलक्टर, पीलीबंगा प्रकरण संख्या 82/2017 बअनवानी तहसीलदार बनाम कृष्ण

उपस्थितः–

श्री मदन पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–10.05.2019

1. सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1073 रकबा 5.060 है0 भूमि कृष्ण पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन बड़ोपल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है अतः आवंटन को रद्द किया जावे। विचारण न्यायलाय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है। मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बगैर एवं पूर्ण जांच किये बगैर गलत दस्तावेजों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट के आवेदन पत्र पर पूर्ण जांच कर भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी। भूमि की सनद खातेदारी लेते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर सनद खातेदारी जारी की थी इसलिए कयास के आधार पर रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अहम कानूनी भूल की है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट लगातार कब्जा काश्त है। वर्तमान में भी अपीलाण्ट की भूमि में फसल काश्त की हुई है। यह भूमि कभी भी किसी सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अवाप्त नहीं की गई। घग्घर फल्ड की जो भूमि है वह घग्घर फल्ड के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं यह भूमि न तो घग्घर फल्ड की भूमि है और न ही घग्घर फल्ड के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और न ही घग्घर बहार क्षेत्र में है। प्रश्नगत भूमि बहार क्षेत्र से काफी दूर उंचे धोरों पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर जांच करवाये बिना कोई साक्ष्य एवं सबूत के आनन फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट को जवाब प्रार्थना–पत्र,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साक्ष्य एवं सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी व सूचना नही दी गई। राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (1) आरआरटी पेज 602, 2005 (1) आरआरटी पेज 588, 2018 (1) आरआरटी पेज 299, 2018 (2) आरआरटी पेज 1007 एचसी, 2019 (1) आरआरटी पेज 226, 2016–17 आरआरटी पेज 242 व पेज 304, 2018 (1) आरआरटी पेज 152 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी का नोटिस दिया गया था लेकिन वह बावजूद इसके बावजूद वह उपस्थित नही आया। जिसके उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि घग्घर के जलभरा की भूमि है, जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के एस बी रिट संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबन्धित भूमि है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
6. धारा–5 मियाद अधिनियम के तथ्यों एवं अपील के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी के आवेदन पर विचारण न्यायालय ने ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1073 की 5.060 है. घग्घर मराव क्षेत्र में के कारण प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया है। ख. नं. 1073 कुल 419 बीघा का था जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2050 से स्पष्ट होता है। इस खसरा नं. को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की रिपोर्ट में रकबा घग्घर के नाम दर्ज होना अंकित किया है। इसी खसरा नं. 1073 में से अपीलाण्ट को आवंटन किया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि घग्घर के नाम दर्ज है एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एसबी.रिट सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है। अपीलाण्ट को यदि अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर नही मिला है तो वह अपने कथन एवं साक्ष्य यहां अपील में भी कर सकता है, लेकिन अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रश्नगत संवत 2050 में घग्घर के नाम न हो या वन विभाग के नाम से दर्ज न हो। प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं वो पर्याप्त नही है। संवत 2050 से पूर्व की कोइ जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने क कारण चस्पा नही होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज कीं जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official